

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री संजय कुमार माथुर
2. प्रकरण संख्या : 44/2022
3. उनवान : शंकरलाल पुत्र श्री मालीराम जाति जाट, निवासी ग्राम हिंगोनिया, तहसील-जोबनेर, जिला जयपुर।

–निगरानीकार

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत हिंगोनिया, पंचायत समिति जोबनेर, तह० जोबनेर, जिला जयपुर।
2. प्रशासक ग्राम पंचायत हिंगोनिया, पंचायत समिति जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
3. सुवालाल पुत्र स्व० भूरामल जाति ब्राम्हण, निवासी ग्राम-हिंगोनियां, पोस्ट-हिंगोनियां, तह० जोबनेर जिला जयपुर।
4. राजकुमार पुत्र स्व० लालचन्द, महाजन निवासी-ग्राम-हिंगोनिया पोस्ट हिंगोनिया, तह० जोबनेर जिला जयपुर।

– गैर निगरानीकार/अप्रार्थीगण

4. निर्णय दिनांक : 17-12-2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर दाधीच निगरानीकार की ओर से।
ब) अधिवक्ता श्री बनवारी कुमावत गैरनिगरानीकार सं० 4 की ओर से।

निर्णय

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज० पंचायत राज अधिनियम 1994

निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत हिंगोनियां में स्थित आबादी भूमि के मध्य स्थित बाजार की भूमि का पट्टा संख्या 30 जारी दिनांक 05-09-2008 की जानकारी होने पर प्रार्थी/निगरानीकार द्वारा नियमानुसार अपील जिसके नौन नम्बर 01/2022-23 है अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई। जिसे विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों को सुनकर अपना निर्णय दिनांक 01-07-2022 को पारित करते हुए, आक्षेपित पट्टा सं० 30 दिनांक 05-09-2008 को तो निरस्त कर दिया गया परन्तु विधिक प्रावधानों की उपेक्षा करते हुए ऐसे निर्देश भी आक्षेपित निर्णय में पारित कर दिये गये जो कि अपील में मांगे/चाहे ही नहीं गये थे। इस कारण आक्षेपित आदेश के अंत में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत हिंगोनियां को जारी निर्देश विधि सम्मत नहीं होने से उनको डिलिट (हटाने) हेतु अपील पेश की गयी।


निगरानीकार ने निगरानी के संलग्न रथगन प्रार्थना पत्र निगरानीधीन आदेश पंचायत समिति जोबनेर की अपील संख्या 01/2022-23 निर्णय दिनांक 01.07.2022 पेश किया है।

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी निगरानीकारान जारी किये गये। गैर निगरानीकार सं० 1 व 2 स्वयं उपस्थित। धेवक्ता श्री बनवारी कुमावत गैर निगरानीकार संख्या 3 व 4 की ओर से उपस्थित हुये।

गैर निगरानीकार सं० 1 व 2 की ओर से विकास अधिकारी प०सं० जोबनेर द्वारा वाब निगरानी प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित है कि ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा श्री वालाल शर्मा पुत्र भूरामल शर्मा को पट्टा संख्या 30 दिनांक 05.09.2008 को कुल क्षेत्रफल 4.52 वर्ग का जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.09.2008 पट्टे पर चाही गई भूमि दुकान होना स्वीकार/अंकित किया है। परन्तु ग्राम पंचायत तारा दुकान का पट्टा जारी करने के स्थान पर आवासीय भूमि का पट्टा जारी किया गया। जारी पट्टा संख्या 30 (निर्णय दिनांक 05.09.2008) को श्री राजकुमार जैन पुत्र स्वं श्री माल चन्द जैन हिंगोनिया द्वारा उक्त जारी पट्टा संख्या 30 को जरिये रजिस्ट्री श्री सुवालाल शर्मा पुत्र भूरामल शर्मा से कय कर ग्राम पंचायत की निर्माण स्वीकृति लेकर दुकान का नवनिर्माण किया गया। राजकुमार जैन द्वारा उक्त कयशुदा पट्टा भूमि पर नवनिर्माण करने पर श्री अमित कुमार जैन पुत्र श्री गोपीचन्द जैन निवासी हिंगोनिया द्वारा पूर्व सरपंच सचिव ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा उक्त दुकान का पट्टा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जारी करने की शिकायत जिला कलेक्टर के यहां की गई। शिकायत प्राप्त होने पर पंचायत समिति कार्यालय हाजा द्वारा कार्यालय हाजा में पदस्थापित सहायक विकास अधिकारी से जांच करवाई गयी। जांच में सहायक विकास अधिकारी द्वारा जारी पट्टा में आपत्ति मांगने के सूचना पत्र में कुल 264 वर्गफीट या 29.33 वर्ग अंकित है जबकि पट्टा लम्बाई में उत्तर-दक्षिण पूर्वी भुजा 2 फीट अधिक भूमि का व दुकान के आगे चबूतरे को शामिल करते हुए 34.52 वर्गगज का जारी किया गया। इस प्रकार तत्कालीन सरपंच सचिव द्वारा आम जनता से तथ्य छुपाकर 5.19 वर्गगज का पट्टा अधिक जारी किया गया। जिसके लिए तत्कालीन सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी को दोषी माना एवं पट्टा संख्या 30 दिनांक 05.09.2008 को निरस्त करवाने की अभिशंषा की गई। उक्त पट्टे की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी श्री शंकर लाल पुत्र मालीराम जाट निवासी हिंगोनिया द्वारा सरपंच सचिव ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा दिनांक 05.09.2008 को श्री सुवालाल शर्मा पुत्र भूरामल शर्मा निवासी हिंगोनिया के नाम से जारी पट्टा संख्या 30 दिनांक 05.09.2008 कुल क्षेत्रफल 34.52 वर्गगज को निरस्त करवाने हेतु दिनांक 16.09.2020 को अपील प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील की सुनवाई कर प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति की बैठक दिनांक 01.07.2022 में अपील संख्या 01/2022-23 शंकर लाल बनाम सरपंच सचिव ग्राम पंचायत हिंगोनिया व अन्य स्वीकार कर ग्राम पंचायत हिंगोनिया पंचायत समिति जोबनेर का संकल्प संख्या 10 निर्णय दिनांक 05.09.2008 एवं इनके अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 30 दिनांक 05.09.2008 कुल क्षेत्रफल 34.52 वर्गगज मिसल संख्या 02/2006-07 खारिज किया गया। साथ ही कब्जेधारी/ग्राम पंचायत को यह निर्देश दिये कि अप्रार्थी संख्या 04 के द्वारा ग्राम पंचायत में पुनः आवेदन करने पर आवेदन पत्र का नियमानुसार निस्तारण करें।

गैर निगरानीकार सं० 4 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये अप्रार्थी संख्या 3 सुवालाल पुत्र स्व० भूरामल के हक में आवादी भूमि का विक्रय विलेख का पट्टा संख्या 30 दिनांक 5.09.2008 को जारी किया गया तथा उक्त पट्टा विक्रय विलेख दिनांक 5.09.2008 के मद संख्या 2 में उल्लेखित किया गया है कि उक्त भूमि दिनांक 5.09.2008 को विक्रेता की ओर से विक्रय के लिये (भूमि के कय हेतु श्री सुवालाल शर्मा के आवेदन


अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

अनुसरण में प्रस्तावित की गयी थी और केता की रूपये 200 की बोली सबसे ऊँची ने के कारण स्वीकार कर ली गयी थी जिसकी रसीद नम्बर 19 दिनांक 11.12.2008 या कृ भूमि 200/- रूपये की बाजार दर (बातचीत द्वारा विक्रय के लिये लागू) पर तचीत द्वारा बेची गयी है और विक्रेता पंचायत के लिये सकल्प संख्या 10 दिनांक 09.2008 द्वारा मंजूर की गयी तथा अप्रार्थी संख्या 3 सुवालाल द्वारा अपने हक में जारी पट्टा संख्या 30 दिनांक 5.09.2008 में वर्णित भूमि को जरिये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 10.2018 को अप्रार्थी/गैर निगरानीकार संख्या 4 राजकुमार को विक्रय कर दी गयी जिसका विक्रय पत्र दिनांक 9.10.2018 को उपपंजीयक किशनगढ़ रेनवाल जयपुर के समक्ष निष्पादित हुआ तथा वरवक्त विक्रय पत्र निष्पादन के समय पट्टा संख्या 30 में वर्णित भूमि दुकान का निर्माण पट्टी पोश था तथा अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा उक्त दुकान कय करने के पश्चात निर्माण करने बाबत निर्माण स्वीकृति दिनांक 6.03.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 से ली गयी। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 4 पट्टा संख्या 30 में वर्णित भूमि का रजि० विक्रय पत्र दिनांक 9.10.2018 के आधार पर मालिक स्वामी हो मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 1.07.2022 के द्वारा पट्टा संख्या 30 दिनांक 5.09.2008 को निरस्त करने का जो आदेश पारित किया गया है वह विधि विरुद्ध व दस्तावेज के विपरीत होने के कारण निगरानीधीन सम्पूर्ण निर्णय दिनांक 1.07.2022 माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने योग्य है तथा निगरानीकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष गलत व आधारहीन तथ्यों के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1.07.2022 के पेज नम्बर 5 में यह उल्लेख किया गया है कि उक्त पट्टा वाणिज्यिक दर की बजाय आवासीय पुश्तैनी गृहकर राशि 200/- रूपये जमा कर जारी विनियमितकरण पट्टा जारी करने के कारण ग्राम पंचायत को आर्थिक नुकसान हुआ है, के आधार पर पट्टा संख्या 30 दिनांक 5.09.2008 को खारिज करने का निर्णय पारित किया गया है जो कि विधि विरुद्ध है तथा जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 को आदेशित किया जा सकता था कि अप्रार्थी संख्या 4 उक्त भूमि की राशि आवासीय के बजाय वाणिज्यिक दर के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 को जमा करवाये, ना कि सम्पूर्ण पट्टा को निरस्त करने का आदेश पारित करती। अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब मय दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं तथा अप्रार्थी संख्या 4 का कब्जा भी अतिक्रमी के रूप में नहीं है बल्कि अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा उक्त दुकान अप्रार्थी संख्या 3 से जरिये रजि. विक्रय पत्र कय की गयी है जबकि वास्तविक तथ्य यह कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत हिगोनिया द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये- अप्रार्थी संख्या 3 सुवालाल पुत्र स्व. भूरामल के हक में आबादी भूमि का विक्रय विलेख का पट्टा संख्या 30 दिनांक 5.09.2008 को जारी किया गया। केता की रूपये 200 की बोली सबसे ऊँची होने के कारण स्वीकार कर ली गयी थी जिसकी रसीद नम्बर 19 दिनांक 11.12.2008 या उक्त भूमि 200/- रूपये की बाजार दर (बातचीत द्वारा विक्रय के लिये लागू) पर बातचीत द्वारा बेची गयी है और विक्रेता पंचायत के लिये सकल्प संख्या 10 दिनांक 5.09.2008 द्वारा मंजूर की गयी तथा अप्रार्थी संख्या 3 सुवालाल द्वारा अपने हक में जारी पट्टा संख्या 30 दिनांक 5.09.2008 में वर्णित भूमि को जरिये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 9.10.2018 को अप्रार्थी/गैर निगरानीकार संख्या 4 राजकुमार को विक्रय कर दी गयी जिसका विक्रय पत्र दिनांक 9.10.2018 को उपपंजीयक किशनगढ़ रेनवाल जयपुर के समक्ष निष्पादित हुआ तथा वरवक्त विक्रय पत्र निष्पादन के समय पट्टा संख्या 30 में वर्णित भूमि में दुकान का निर्माण पट्टी पोश था तथा अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा उक्त दुकान कय करने के पश्चात

निर्माण करने बाबत निर्माण स्वीकृति दिनांक 6.03.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 से ली गयी।
 स प्रकार अप्रार्थी संख्या 4 पट्टा संख्या 30 में वर्णित भूमि का रजि विक्रय पत्र दिनांक
 10.2018 के आधार पर मालिक स्वामी हो मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग
 करता चला आ रहा है तथा विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 1.07.2022 के
 द्वारा पट्टा संख्या 30 दिनांक 5.09.2008 को निरस्त करने का जो निर्णय पारित किया
 गया है वह विधि विरुद्ध व दस्तावेज के विपरीत होने के कारण निगरानीधीन सम्पूर्ण
 निर्णय दिनांक 1.07.2022 न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने योग्य है तथा निगरानीकार
 द्वारा उक्त मद में निर्णय दिनांक 1.07.2022 में से "साथ ही कब्जेदारी/ग्राम पंचायत को
 यह निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी संख्या 4 के द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष पुनः आवेदन
 करने पर आवेदन पत्र का नियमानुसार निस्तारण करें" को डिलीट किये जाने का अनुतोष
 चाहा है जो कतई भी पारित नहीं किया जा सकता चुकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित
 सम्पूर्ण निर्णय दिनांक 1.07.2022 विधि विरुद्ध व दस्तावेज के विपरीत होने के कारण
 न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने योग्य है चूंकि अप्रार्थी संख्या 3 के हक में जारी पट्टा
 संख्या 30 दिनांक 5.09.2008 सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा
 जरिये विक्रय विलेख के सबसे ऊची बोली होने के कारण अप्रार्थी संख्या 3 के हक में
 जारी किया गया जो कि कतई भी निरस्त नहीं किया जा सकता। इस कारण अधिनस्थ
 न्यायालय द्वारा पारित सम्पूर्ण निर्णय दिनांक 1.07.2022 विधि विरुद्ध व दस्तावेज के
 विपरीत होने के कारण न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने योग्य है। सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया
 अपनाते हुये नियमानुसार पट्टा संख्या 30 दिनांक 5.09.2008 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा
 अप्रार्थी संख्या 3 के हक में जारी किया गया है तथा उक्त पट्टे के आधार पर अप्रार्थी
 संख्या 3 द्वारा जरिये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 9.10.2018 के आधार पर उक्त पट्टे में
 वर्णित भूमि का विक्रय अप्रार्थी संख्या 4 को कर दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 4
 उक्त विक्रय पत्र के आधार पर पट्टा संख्या 30 में वर्णित भूमि में निर्मित पुख्ता दुकान का
 एकमात्र मालिक स्वामी हो मौके पर निर्बाध रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता
 चला आ रहा है जो तथ्य व दस्तावेजात पत्रावली में मौजूद होने के बावजूद भी अधिनस्थ
 न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण निर्णय दिनांक 1.07.2022 विधि विरुद्ध तथा दस्तावेजात के विपरीत
 पारित किये जाने के कारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण निर्णय दिनांक 1.07.2022 निरस्त किये
 जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण बाबत दिनांक 7.06.2022 को
 कमेटी गठित की गयी जो गठित कमेटी दिनांक 17.06.2022 को मौका देखकर मौका
 रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार ग्राम पंचायत हिंगोनिया के मुख्य बाजार में अपील में
 अंकित पट्टे पर श्री राजकुमार जैन द्वारा एक दुकान जिसकी लम्बाई उत्तर दक्षिण 18
 फीट 9 इंच व चौड़ाई पूर्व पश्चिम 12 फीट 1 इंच तथा आगे चबुतरा 8 फीट 6 इंच व 4
 फीट 9 इंच कुल क्षेत्रफल 29.53 वर्गगज में चबुतरा सहित निर्माण कर रखा है। मौके पर
 राजकुमार जैन द्वारा उक्त पट्टाशुदा दुकान में परचुनी की दुकान कर रहे हैं। मौके पर
 दुकान एक मंजिला बनी हुयी है उक्त दुकान के निर्मित होने से आमजन का सुखाचार,
 सार्वजनिक चौक की सुन्दरता, आवागमन तथा बरसाती व गंदे पानी की निकासी पर कोई
 प्रभाव नहीं पडता है। पत्रावली में पट्टा हेतु जारी नोटिस में पूर्व व पश्चिम 12 फीट तथा
 उत्तर दक्षिण 21 फीट व 23 फीट कुल 29.33 वर्गगज है जो अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा निर्मित
 क्षेत्रफल के बराबर है। उक्त मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा पत्रावली में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी
 जिसका उल्लेख अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में भी किया गया है। पट्टा संख्या
 30 दिनांक 5.09.2008 यदि सार्वजनिक रास्ता व आम चौक की भूमि के बाबत जारी किया
 जाता तो उक्त अपील आम जनता के द्वारा प्रस्तुत की जाती परन्तु उक्त पट्टे के बाबत



अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील आम जनता के द्वारा प्रस्तुत नही की जाकर मात्र एक व्यक्ति मात्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है जो कि अप्रार्थी संख्या 4 से राजनैतिक द्वेषतावश पेश की गयी है। निगरानीकार को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पट्टा संख्या 30 दिनांक 5.09.2008 के सम्बन्ध में अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार हासिल नही था तथा निगरानीकार की अपील में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजात के विपरीत जाकर निगरानीधीन निर्णय दिनांक 1.07.2022 पारित किये जाने में कानूनी भूल की है जिस कारण निगरानीधीन निर्णय दिनांक 1.07.2022 सम्पूर्ण न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने योग्य है।

अन्त में निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज फरमायी जाकर अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत कौंस आपत्तियां निगरानीधीन निर्णय दिनांक 1.07.2022 के विरुद्ध स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सम्पूर्ण निगरानीधीन निर्णय दिनांक 1.07.2022 उनवानी शंकरलाल बनाम सरपंच ग्राम पंचायत हिंगोनिया व अन्य, अपील संख्या 01/2022-23 को अपास्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया है।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। अधिवक्तागण उभयपक्ष द्वारा लिखित बहस पेश की गई।

अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत हिंगोनिया में स्थित आबादी भूमि के मध्य स्थित बाजार की भूमि का पट्टा संख्या 30 जारी दिनांक 05-09-2008 की जानकारी होने पर प्रार्थी/निगरानीकार द्वारा नियमानुसार अपील (जिसके नवीन नम्बर 01/2022-23 है) अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई। जिसे विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों को सुनकर अपना निर्णय दिनांक 01-07-2022 को पारित करते हुए, आक्षेपित पट्टा सं. 30, जारी दिनांक 05-09-2008 को तो निरस्त कर दिया गया। परन्तु विधिक प्रावधानों की उपेक्षा करते हुए ऐसे निर्देश भी आक्षेपित निर्णय में पारित कर दिये गये जो कि अपील में मांगे/चाहे ही नहीं गये थे। इस कारण आक्षेपित आदेश के अंत में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत हिंगोनिया को जारी निर्देश विधि सम्मत नहीं होने से उनको डिलिट (हटाने) हेतु यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित निर्णय पारित करते समय विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलान्त ने आक्षेपित अवैध पट्टा सं. 30 को खारिज करने मात्र का अनुतोष ही अधिनस्थ न्यायालय से चाहा था। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपार्थी सं 4 के प्रति उदारतापूर्ण/पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाकर उसके संबंध में विशिष्ट निर्देश आक्षेपित आदेश में पारित कर दिये। जबकि आक्षेपित पट्टा खारिज करने के बाद, व्यावसायिक भूमि का पट्टा उच्चतर बोली लगाकर जारी किया जाना ही विधि सम्मत था। परन्तु आक्षेपित आदेश/निर्णय में अपार्थी सं. 4 के आवेदन पर फैसला करने संबंधि विशिष्ट निर्देश जारी करके, विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग किया है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में से -"साथ ही कब्जेधारी/ग्राम पंचायत को यह निर्देश दिये जाते है कि अपार्थी सं. 4 के द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष पुनः आवेदन करने पर आवेदन पत्र का नियमानुसार निस्तारण करें" को डिलिट किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। आक्षेपित निर्णय पारित करते समय विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि स्वीकृत रूप से एवं पत्रावली पर



अतिरिक्त आवेदक एवं
अति. जिता नजिद (पुनः) जयपुर

मौजूदा जॉच रिपोर्टों के अनुसार वादग्रस्त भूमि व्यावसायिक भूमि है। जिसका आवंटन ऑक्शन की प्रकिया अपनाकर, उच्चतम बोली लगाये जाने वाले व्यक्ति के पक्ष में आवंटन किया जाना चाहिए। इस संबंध में राजस्थान पंचायत राज नियमावली 1996 में विशिष्ट उपबंध वर्णित है। जिनके विरुद्ध जाकर अधिनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी स. 4 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार करने बाबत विशिष्ट निर्देश ग्राम पंचायत हिंगोनिया को जारी करके निहितशक्तियों का दुरुपयोग किया है एवं अन्य उच्चतम बोली देकर आवंटन कराने वाले व्यक्तियों के विधिक अधिकार ही परोक्ष रूप से समाप्त कर दिये हैं। आक्षेपित आदेश पारित करते समय विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि वादग्रस्त व्यावसायिक स्थल का पट्टा सं. 30, अप्रार्थी स. 3 सुवालाल शर्मा को जारी किया गया था। जिस पर अप्रार्थी स. 4 राजकुमार जैन (महाजन) किस हैसियत से काबिज हो गया ? जबकि पत्रावली के अभिलेख में अंतरण संबंधी कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि जब मूल आवंटन पत्र से 30 ही खारिज हो गया तो अप्रार्थी सं 4 राजकुमार जैन का कब्जा व अधिकार अतिक्रमी के रूप में होना प्रमाणित हो चुका था। परन्तु विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने अतिक्रमी के कब्जे को संपुष्ट करने हेतु विशिष्ट निर्देश आक्षेपित निर्णय के अंत में पारित करके, उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग किया है। अतिक्रमी अप्रार्थी सं 4 का अतिक्रमण, अवैध पट्टा में अंकित भूमि से भी अधिक है। अर्थात् दस्तावेज एवं मौके पर कब्जे के क्षेत्रफल संबंधी भिन्नता पाये जाने पर भी अप्रार्थी सं 4 को अनुचित संरक्षण प्रदान करते हुए एवं अवैध पट्टे के आधार पर किये गये अतिक्रमण को अनुचित संरक्षण प्रदान करने हेतु ही आक्षेपित निर्णय के अंत में विशिष्ट निर्देश अप्रार्थी सं 4 के पक्ष में पारित करके अधिनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि कारित की है। आक्षेपित निर्णय में विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा उठाई गई विधिक आपत्तियों का भी निस्तारण नहीं किया गया। जबकि प्रार्थी की मुख्य आपत्ति यह थी कि आक्षेपित पट्टा सं 30 सार्वजनिक मार्ग एवं चौक की भूमि पर जारी किया गया है। जबकि नियमानुसार सार्वजनिक चौक एवं रास्ता की भूमि पर किसी भी प्रकार का पट्टा जारी करने का अधिकारी अप्रार्थी सं. 1 को प्राप्त नहीं है। उक्त महत्वपूर्ण तथ्य का विवेचन किये बिना आक्षेपित आदेश में अप्रार्थी सं. 4 के हक में पारित विशिष्ट निर्देश देकर अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षपातपूर्ण कृत्य किया है। आक्षेपित निर्णय की आड़ में विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी स. 4 के पक्ष में ही पट्टा जारी करने संबंधी विशिष्ट निर्देश प्रदान करके, आम जनता के विधिक अधिकारी (उच्च बोली लगाकर पट्टा प्राप्त करने के अधिकार) पर कुठाराघात किया है। आक्षेपित निर्णय में विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की घोर उपेक्षा करके मनमाना एवं पक्षपातपूर्ण निर्णय पारित करके अप्रार्थी सं. 4 को अनुचित संरक्षण प्रदान किया है। जो गलत है। इस कारण आक्षेपित आदेश संशोधित किये जाने योग्य है।

अतः निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 01-07-2022 में से "साथ ही कब्जेधारी/ग्राम पंचायत को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी स. 4 के द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष पुनः आवेदन करने पर आवेदन पत्र का नियमानुसार निस्तारण करें" को निरस्त/डिलिट करने के आदेश फरमावे। ताकि वादग्रस्त व्यावसायिक भूमि का अधिकतम मूल्य ग्राम पंचायत हिंगोनिया को प्राप्त हो सके तथा पारदर्शिता अपनाकर वादग्रस्त भूमि का नियमानुसार आवंटन ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति के हित में किया जा सके।


अतिरिक्त कर्तव्य एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

अधिवक्ता गैरनिगरानीकार संख्या 4 द्वारा लिखित बहस पेश की गई जिसमें अंकित किया गया है अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये अप्रार्थी संख्या 3 सुवालाल पुत्र स्व. भूरामल के हक में आबादी भूमि का विक्रय विलेख का पट्टा संख्या 30 दिनांक 5.09.2008 को जारी किया गया तथा उक्त पट्टा विक्रय विलेख दिनांक 5.09.2008 के मद संख्या 2 में उल्लेखित किया गया है कि उक्त भूमि दिनांक 5.09.2008 को विक्रेता की ओर से विक्रय के लिये (भूमि के कय हेतु श्री सुवालाल शर्मा के आवेदन के अनुसरण में) प्रस्तावित की गयी थी ओर क्रेता की रूपये 200 की बोली सबसे ऊंची होने के कारण स्वीकार कर ली गयी थी जिसकी रसीद नम्बर 19 दिनांक 11.12.2008 या उक्त भूमि 200/- रूपये की बाजार दर (बातचीत द्वारा विक्रय के लिये लागू) पर बातचीत द्वारा बेची गयी है ओर विक्रेता पंचायत के लिये संकल्प संख्या 10 दिनांक 5.09.2008 द्वारा मंजूर की गयी तथा अप्रार्थी संख्या 3 सुवालाल द्वारा अपने हक में जारी पट्टा संख्या 30 दिनांक 5.09.2008 में वर्णित भूमि को जरिये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 9.10.2018 को अप्रार्थी/गैर निगरानीकार संख्या 4 राजकुमार को विक्रय कर दी गयी जिसका विक्रय पत्र दिनांक 9.10.2018 को उपपंजीयक किशनगढ़ रेनवाल जयपुर के समक्ष निष्पादित हुआ तथा वरवक्त विक्रय पत्र निष्पादन के समय पट्टा संख्या 30 में वर्णित भूमि में दुकान का निर्माण पट्टी पोश था तथा अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा उक्त दुकान कय करने के पश्चात निर्माण करने बाबत निर्माण स्वीकृति दिनांक 6.03.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 से ली गयी। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 4 पट्टा संख्या 30 में वर्णित भूमि का रजि. विक्रय पत्र दिनांक 9.10.2018 के आधार पर मालिक स्वामी हो मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 1.07.2022 के द्वारा पट्टा संख्या 30 दिनांक 5.09.2008 को निरस्त करने का जो निर्णय पारित किया गया है वह विधि विरुद्ध व दस्तावेज के विपरीत होने के कारण निगरानीधीन सम्पूर्ण निर्णय दिनांक 1.07.2022 न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने योग्य है तथा निगरानीकार द्वारा उक्त मद में निर्णय दिनांक 1.07.2022 में से "साथ ही कब्जधारी/ग्राम पंचायत को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अनार्थी संख्या 4 के द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष पुनः आवेदन करने पर आवेदन पत्र का नियमानुसार निस्तारण करें" को डिलीट किये जाने का अनुतोष चाहा है जो पारित नहीं किया जा सकता चूंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सम्पूर्ण निर्णय दिनांक 1.07.2022 विधि विरुद्ध व दस्तावेज के विपरीत होने के कारण न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने योग्य है चूंकि अप्रार्थी संख्या 3 के हक में जारी पट्टा संख्या 30 दिनांक 5.09.2008 सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जरिये विक्रय विलेख के सबसे ऊंची बोली होने के कारण अप्रार्थी संख्या 3 के हक में जारी किया गया। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सम्पूर्ण निर्णय दिनांक 1.07.2022 विधि विरुद्ध व दस्तावेज के विपरीत होने के कारण न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने योग्य है तथा निर्णय दिनांक 1.07.2022 के पेज नम्बर 5 में यह उल्लेख किया गया है कि उक्त पट्टा वाणिज्यिक दर की बजाय आवासीय पुश्तैनी गृहकर राशि 200/-रूपये जमा कर जारी विनियमितकरण पट्टा जारी करने के कारण ग्राम पंचायत को आर्थिक नुकसान हुआ है, के आधार पर पट्टा संख्या 30 दिनांक 5.09.2008 को खारिज करने का निर्णय पारित किया गया है जो कि विधि विरुद्ध है तथा जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 को आदेशित किया सकता था की अप्रार्थी संख्या 4 उक्त भूमि की राशि आवासीय के बजाय वाणिज्यिक दर के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 को जमा करवाये, ना की सम्पूर्ण पट्टा को निरस्त करने का आदेश पारित करती। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण निर्णय दिनांक 1.07.2022 विधि विरुद्ध व



[Handwritten Signature]

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
रजि. जिला मजिस्ट्रेट (पुलिस) जयपुर

दस्तावेजात के विपरीत पारित किये जाने के कारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण निर्णय दिनांक 1.07.2022 निरस्त किये जाने योग्य है चूंकि निर्णय में से स्पेसिफिक पार्ट डिलीट नहीं किया जा सकता है तथा आक्षेपित निर्णय संशोधित नहीं किया जाकर सम्पूर्ण निर्णय दिनांक 1.07.2022 विधि विरुद्ध व दस्तावेज के विपरीत होने के कारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण निर्णय दिनांक 1.07.2022 निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या द्वारा किराी सार्वजनिक रास्ता एवं सार्वजनिक चौक का पट्टा अप्रार्थी संख्या 3 के हक में जारी नहीं किया गया है बल्कि सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये व मौका निरीक्षण कर तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 तथा राजस्थान पंचायती नियम 1996 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा पट्टे बाबत आवेदन किये जाने पर पट्टा संख्या 30 में वर्णित भूमि का पट्टा दिनांक 5.09.2008 को आबादी भूमि का विक्रय विलेख के जरिये अप्रार्थी संख्या 3 सुवालाल के हक में सबसे ऊंची बोली के आधार पर विक्रय पट्टे में वर्णित भूमि का विक्रय किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी पट्टा संख्या 30 दिनांक 5.09.2008 जो कि अप्रार्थी संख्या 3 के हक में जारी किया गया है जो विधि विरुद्ध व सार्वजनिक चौक व रास्ते की भूमि पर जारी नहीं किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पट्टा संख्या 30 दिनांक 5.09.2008 खारिज नहीं किया जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण बाबत दिनांक 7.06.2022 को कमेटी गठित की गयी जो गठित कमेटी दिनांक 17.06.2022 को मौका देखकर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार ग्राम पंचायत हिंगोनिया के मुख्य बाजार में अपील में अंकित पट्टे पर श्री राजकुमार जैन द्वारा एक दुकान जिसकी लम्बाई उत्तर दक्षिण 18 फीट 9 इंच व चौड़ाई पूर्व पश्चिम 12 फीट 1 इंच तथा आगे चबुतरा 8 फीट 6 इंच व 4 फीट 9 इंच कुल क्षेत्रफल 29.53 वर्गगज में चबुतरा सहित निर्माण कर रखा है। मौके पर राजकुमार जैन द्वारा उक्त पट्टाशुदा दुकान में परचुनी की दुकान कर रहे हैं। मौके पर दुकान एक मंजिला बनी हुयी है। उक्त दुकान के निर्मित होने से आमजन का सुखाचार, सार्वजनिक चौक की सुन्दरता, आवागमन तथा बरसाती व गंदे पानी की निकासी पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। पत्रावली में पट्टा हेतु जारी नोटिस में पूर्व व पश्चिम 12 फीट तथा उत्तर दक्षिण 21 फीट व 23 फीट कुल 29.33 वर्गगज है जो अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा निर्मित क्षेत्रफल के बराबर है। उक्त तथ्य की रिपोर्ट मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा पत्रावली में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसका उल्लेख अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में भी किया गया है जिसके बावजूद भी अपीलाधीन निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत व विधि विरुद्ध पारित किया है। विवादित दुकान अप्रार्थी संख्या 03 सुवालाल के पिता भूरामल शर्मा द्वारा खरीदशुदा थी तथा भूरामल शर्मा की मृत्यु होने के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 03 सुवालाल व इसके भाई रामेश्वर लाल जगदीश प्रसाद द्वारा आपस में पारिवारिक सम्पत्तियों का बंटवारा किया गया। जिस बंटवारे के अनुसार विवादित दुकान अप्रार्थी संख्या 03 सुवालाल के हिस्से में आई तथा अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा विवादित दुकान का पट्टा प्राप्त करने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन किया जिसमें सहमति बाबत अपार्थी संख्या 03 के भाई रामेश्वर लाल व जगदीश प्रसाद द्वारा हस्ताक्षर किये गये। तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रतिफल राशि प्राप्त कर विवादित दुकान बाबत पट्टा संख्या 30 दिनांक 05.09.2008 अपार्थी संख्या 03 के हक में जारी किया गया। तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा अपने स्वामित्व व आधिपत्य की उक्त दुकान को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.10.2018 को अप्रार्थी/गैर निगरानीकार संख्या 04 राजकुमार को विक्रय कर दी गई तथा अप्रार्थी संख्या 04/गैर निगरानीकार संख्या 04 द्वारा उक्त दुकान क्रय करने के पश्चात् उक्त दुकान में




एक मंजिला निर्माण करवाया गया तथा वर्तमान में अप्रार्थी/गैर निगरानीकार संख्या 04 उक्त दुकान में गोदा एन्टरप्राइजेज के नाम से बांट-बंटे का व्यवसाय कर रहा है तथा उक्त दुकान के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी/गैर निगरानीकार संख्या 04 के स्वामित्व व आधिपत्य की पुश्तैनी दो दुकाने हैं जो अप्रार्थी/गैर निगरानीकार संख्या 04 द्वारा अपने परिवारजनों से क्रय की गई है। अप्रार्थी संख्या 03 सुवालाल द्वारा अप्रार्थी/गैर निगरानीकार संख्या 04 के हक में विवादित दुकान का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.10.2018 को निष्पादित करवाया गया। उस समय अप्रार्थी/गैर निगरानीकार संख्या 04 द्वारा उक्त विवादित दुकान की वाणिज्यिक दर से स्टाम्प ड्यूटी राज्य सरकार को अदा की गई। जो दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरुद्ध रूप से निर्णय दिनांक 01.07.2022 को पारित कर पट्टा संख्या 30 दिनांक 05.09.2008 को खारिज फरमा दिया गया। उक्त विवादित दुकान बाबत कोई शुल्क बकाया है तो अप्रार्थी संख्या 01 अप्रार्थी/गैर निगरानीकार संख्या 04 को जमा करवाने बाबत नोटिस जारी कर सकती थी। परन्तु अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, जिस पर गौर ना फरमाकर विधि विरुद्ध रूप से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीधीन निर्णय द्वारा अप्रार्थी/गैर निगरानीकार संख्या 04 के स्वामित्व व आधिपत्य की खरीदशुदा दुकान का पट्टा खारिज फरमा दिया गया। पट्टा संख्या 30 दिनांक 5.09.2008 यदि सार्वजनिक रास्ता व आम चौक की भूमि के बाबत जारी किया जाता तो उक्त अपील आम जनता के द्वारा प्रस्तुत की जाती परन्तु उक्त पट्टे के बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील आम जनता के द्वारा प्रस्तुत नहीं की जाकर मात्र एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गयी है। निगरानीकार को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पट्टा संख्या 30 दिनांक 5.09.2008 के सम्बन्ध में अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार हासिल नहीं था तथा निगरानीकार की अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजात के विपरीत जाकर निगरानीधीन निर्णय दिनांक 1.07.2022 पारित किये जाने में भयंकर कानूनी भूल की है जिस कारण निगरानीधीन निर्णय दिनांक 1.07.2022 सम्पूर्ण न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज फरमायी जाकर अप्रार्थी/गैर निगरानीकार संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत क्रॉस आपत्तियां निगरानीधीन निर्णय दिनांक 1.07.2022 के विरुद्ध स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सम्पूर्ण निगरानीधीन निर्णय दिनांक 1.07.2022 उनवानी शंकरलाल बनाम सरपंच ग्राम पंचायत हिंगोनिया व अन्य अपील संख्या 01 / 2022-23 को खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मिसल मातहत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अध्ययन एवं मनन किया गया। निगरानीधीन पट्टा संख्या 30 जारी दिनांक 05-09-2008 ग्राम पंचायत हिंगोनिया पंचायत समिति जोबनेर द्वारा गैरनिगरानीकार सं० 3 के हक में जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति जोबनेर द्वारा उक्त निगरानीधीन पट्टे को निर्णय दिनांक 01-07-2022 पारित कर निरस्त कर दिया गया।

हस्तगत प्रकरण में विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया है कि "ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा सुवालाल शर्मा पुत्र भूरामल शर्मा को पट्टा संख्या 30 दिनांक 05.09.2008 को कुल क्षेत्रफल 34.52 वर्ग का जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.09.2008 में पट्टे पर चाही गई भूमि दुकान होना


अतिरिक्त कलेक्टर एवं
निर्देश (तृतीय) जयपुर

स्वीकार/अंकित किया है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा दुकान का पट्टा जारी करने के स्थान पर आवासीय भूमि का पट्टा जारी किया गया। सहायक विकास अधिकारी द्वारा जारी पट्टा में आपत्ति मांगने के सूचना पत्र में कुल 264 वर्गफीट या 29.33 वर्ग अंकित है जबकि पट्टा लम्बाई में उत्तर-दक्षिण पूर्वी भुजा 2 फीट अधिक भूमि का व दुकान के आगे चबूतरे को शामिल करते हुए 34.52 वर्गगज का जारी किया गया। इस प्रकार तत्कालीन सरपंच सचिव द्वारा आम जनता से तथ्य छुपाकर 5.19 वर्गगज का पट्टा अधिक जारी किया गया।”

उक्त जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से सुस्पष्ट है कि निगरानीधीन पट्टा वाणिज्यिक दर के बजाय आवासीय पुरतैनी गृह कर राशि 200/- रुपये जमा कर जारी विनियमितीकरण पट्टा जारी करने के कारण ग्राम पंचायत को आर्थिक नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त पट्टे की सीमाओं की मौके पर भिन्नता है तथा ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व नियम 157 के परिप्रेक्ष्य में जांच नहीं की गई। अतः निगरानीधीन पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए जारी किया गया है जो प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है।

उक्त निगरानीधीन पट्टे के संबंध में वर्तमान निगरानीकार द्वारा अपील संख्या 1/2022-23 में अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति जोबनेर के समक्ष अपीलार्थी द्वारा विवादित पट्टा संख्या 30 दिनांक 05-09-2008 को निरस्त फरमाये जाने का अनुतोष चाहा गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय दिनांक 01-07-2022 में अपीलार्थी द्वारा वांछित अनुतोष के अतिरिक्त ग्राम पंचायत को अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा ग्राम पंचायत में पुनः आवेदन करने पर आवेदन पत्र का नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश जारी किये गये हैं जो पंचायती राज अधिनियम के विधिक प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः न्यायालय का मत है कि निगरानीधीन पट्टा सं 30 दिनांक 05/09/2008 को निरस्त योग्य है एवं निगरानीधीन भूमि का राजस्थान पंचायती राज नियम 142 से 158 के प्रावधानों की पालना करते हुए नये सिरे से पुनः पट्टा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 स्वीकार किया जाकर निगरानीधीन पट्टा सं 30 दिनांक 05/09/2008 को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01-07-2022 को आंशिक अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निगरानीधीन निर्णय में कब्जेधारी/ग्राम पंचायत को अप्रार्थी सं 4 द्वारा ग्राम पंचायत में आवेदन करने पर निस्तारण करने का आदेश निरस्त किया जाता है। तदानुसार ग्राम पंचायत हिंगोनिया को निर्देशित किया जाता है कि निगरानीधीन भूमि के संबंध में राजस्थान पंचायती राज नियम में विनिर्दिष्ट प्रावधानों की पालना करते हुए नये सिरे से नियमानुसार आवंटन कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल



(संजय कुमार माथुर)
अति. जिला कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर